



कारो एवं अधिकारियों
के हस्ताक्षर

16-11-03
2/11/03
24 DEC 2002

न्यायालय माननीय बोर्ड आफ रेवेन्यू, ग्वालियर

R-184-11/2003

- § 18 पुरुषोत्तम तनय भूमत गड़रिया
नि० समनापुर तह० रहली जिला सागर
- § 28 प्रभु तनय भूमत गड़रिया
- § 38 चौधा उर्फ घेतू तनय भूमत
- § 48 श्रीमती मूंगाबाई विधवा भूमत
नि० ग्राम पाटई तह० रहली जिला सागर

-- -- आवेदकगण

॥ विरुद्ध ॥

श्रीमती विपदाबाई पत्नी कडोरीलाल यादव
निवासी नई मकरोनिया एम०पी०ई०बी० रेस्ट हाउस
के पीछे सागर तह० जिला सागर

-- -- अनावेदक

नगरानी अधिनियम धारा 50 म०प्र०भू राजस्व संहिता 1959

आवेदक निम्नलिखित प्रार्थना करते हैं :-

1- यह कि आवेदकगण उक्त नगरानी आदेश श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के प्र.क्र. 352-3/6, 2001-2002 आदेश दिनांक 19.8.2002 से पीड़ित होकर कर रहे हैं ।

2- यह कि विधान अतिरिक्त कमिश्नर महोदय द्वारा जो संक्षिप्त आदेश पारित किया है वह विधि विधान के प्रतिकूल है उक्त प्रकरण में विधान अनुविभागीय अधिकारी ने जो आदेश पारित किया है वह अंतरिम आदेश नहीं है उक्त आदेश को यदि देखा जाए तो उनके द्वारा अपने आदेश में स्मरत रूप से सक्षय

35
26/12/02
अतिरिक्त कमिश्नर सागर
शुभकर
24-1-03

R/14

(Signature)

